न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/5 दायरा दिनांक : 08.03.2022

उनवान

1– बाल्या पुत्र भागीरथ
2– भवानी पुत्र भागीरथ (मृतक)
3– कल्याणी बेवा भागीरथ (मृतक)
जाति कीर, निवासीगण पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
.... अपीलांट

बनाम

1– खेमा पुत्र रामनाथ, जाति भील, निवासी सिंधपुरी, तहसील अन्ता, जिला बारां
2– भैरया पुत्र बूच्या, जाति कीर, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां (मृतक)
2/1– केदार पुत्र भैरया
2/2– पप्पू पुत्र भैरया
2/3– काल्या पुत्र भैरया
2/4– राधेश्याम पुत्र भैरया
2/5– गंगाराम पुत्र भैरया
निवासीगण चिंसा, जिला कोटा (राज0)
3– ग्यारस्या पुत्र बूच्या, जाति कीर, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
4– लटूर पुत्र मंगला, जाति कीर, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
5– नारायण पुत्र मंगला, जाति कीर, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
6– रमेश पुत्र मंगला, जाति कीर, निवासी पाटून्दा, तहसील अन्ता, जिला बारां
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित। बिरधीलाल पुत्र खेमा जरिये अभिभाषक
श्री प्रदीप मेहरा, श्री निशित शिनोट, श्री जगदीश मेघवाल

निर्णय दिनांक : 19.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 281/1989 निर्णय दिनांक 27.02.1991 से इजराय प्रकरण संख्या /2019 निर्णय दिनांक 06.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पाटून्दा, तहसील मांगरोल के माल में आराजी खसरा नं. 1134 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.1991 से वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर दावा इस प्रकार डिक्री किया कि आराजी खसरा नं. 1134 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा का वादीगण व प्रतिवादीगण 2 से 6 को खातेदार कृषक घोषित किया तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया कि वे वादीगण तथा प्रतिवादीगण 2 से 6 के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा न करें तथा बेदखल न करें जिससे अप्रसन्न होकर वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के न्यायालय में इजराय का प्रार्थना पत्र लगाया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने इजराय में आदेश दिनांक 06.09.2021 को अंकित किया कि पत्रावली में

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसीलदार अन्ता से प्राप्त मुताबिक रिपोर्ट में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 6 (जो कि जाति कीर होने से सामान्य जाति की श्रेणी में आता है) को प्रतिवादी कम 1 (जो कि जाति भील होने से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है) के नाम पर दर्ज खातेदारी भूमि पर खातेदार घोषित किया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विरूद्ध प्रतीत होता है। अतः धारा 42 के उल्लंघन होने से इजराय पालना संभव नहीं है। पत्रावली खारिज की जाती है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि दिनांक 27.02.1991 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 281/1989 बाला बनाम खेमा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में स्वीकार कर आराजी खसरा नं. 1134 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा ग्राम पाटून्दा, तहसील मांगरोल का अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 2 ता 7 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया था उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 02.04.1992 को राजस्व कमांक 276 से तहसीलदार मांगरोल को उक्त इजराय मिन नं0 5/52 बाल्या बनाम खेमा, कोम कीर इजराय की पालना हेतु केफियल प्रेषित की थी जिस पर कोई पालना नहीं होने पर वादी द्वारा पुनः आदेश की पालना हेतु दिनांक 27.02.2019 को उपजिला कलेक्टर, अन्ता के यहां इजराय प्रस्तुत की गई तथा अन्ता तहसीलदार को उक्त इजराय की पालना हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

तहसीलदार अन्ता द्वारा दिनांक 19.07.2021 को उक्त आदेश की पालना करने बाबत उपखण्ड अधिकारी से मार्गदर्शन चाहा कि उक्त आराजी अनुसूचित जनजाति के खातेदारी में है एवं वादी सामान्य जाति की श्रेणी में आता है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत अनुसूचित जनजाति की आराजी सामान्य जाति की श्रेणी के नाम हस्तान्तरण किया जाना उक्त अधिनियम के विरूद्ध प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी, अन्ता द्वारा इजराय पत्रावली पर दिनांक 06.09.2021 को यह नोट अंकित किया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट कम 1 अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है तथा वादी सामान्य जाति की श्रेणी में आता है जो धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के उल्लंघन होने से इजराय पालना संभव नहीं है, अतः पत्रावली खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 281/1989 बाला बनाम खेमा में दिनांक 27.02.1991 को वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट के तहत वाद स्वीकार कर अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया था एवं स्वयं के द्वारा ही उक्त इजराय में धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का हवाला देकर उक्त इजराय को खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय कतई गैर कानूनी है एवं उक्त आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तरह का आदेश पारित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता का निर्णय दिनांक 06.01.2021 इजराय बाल्या बनाम खेमा /2019 निरस्त फरमावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.10.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मृतक खेमा के वारिसान बिरधीलाल पुत्र स्वर्गीय खेमा, जाति भील की ओर से एक प्रार्थना पत्र व लिखित बहस वास्ते मृतक खेमा के विरूद्ध की गई अपील को निरस्त करने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र में मृतक खेमा का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न है जिसमें मृत्यु की दिनांक 24.05.1998 अंकित है। बिरधीलाल की ओर से श्री प्रदीप मेहरा, श्री निशित शिनोट, श्री जगदीश गेघवाल अभिभाषक का वकालतनामा पेश किया गया। वकालतनामे पर नेनकी पत्नी हरिशचन्द, दौलत पुत्र हरिशचन्द के भी हस्ताक्षर मौजूद है। प्रार्थना पत्र बिरधीलाल पुत्र खेमा एवं जरिये अभिभाषक पेश कर कथन किया कि उक्त अपील मृतक व्यक्ति रेस्पोडेंट कम 1 के विरूद्ध अपील चलने योग्य व मान्य नहीं है तथा मियाद बाहर है। विवादित आराजीयात अनुसूचित जनजाति की होने से प्रकरण धारा 42ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार भी अपील काबिले खारिजा है।

विवादित आराजीयात के वर्तमान स्थिति भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई जैसे वर्तमान खसरा नम्बर, इंतकाल अपीलांट व रेस्पोडेंट में कौन–कौन मृतक है, वर्तमान भूमि राजस्थान सरकार द्वारा अवाप्त कर ली गई है, मौके पर रेस्पोडेंट कम 1 खेमा के नाम कोई भूमि स्थित नहीं है। उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय में झूठे तथ्यों के अनुसार पेश की गई है तथा उक्त भूमि सरकार द्वारा अवाप्त की गई जिसकी मुआवजा राशि ब्लेकमेल कर हड़पने की नियत से पेश की गई है। अपीलांट को सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद झूठे तथ्यों पर पेश होने से अपील खारिज की जावे। अपीलांट को मृतक खेमा की भूमि से किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते तथा मृतक के वारिसान से भी उक्त भूमि के संबंध में कोई हक व अधिकार नहीं बनते हैं, इसलिए अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील को खारिज फरमावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बिरधीलाल पुत्र खेमा एवं जरिये अभिभाषक के प्रार्थना पत्र मृतक खेमा के विरूद्ध अपील निरस्त किये जाने पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998(एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील के तथ्यों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 27.02.1991 के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध इजराय 2019 में प्रस्तुत हुई, जिसका निर्णय दिनांक 06.09.2021 को किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.02.1991 के द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि सामान्य जाति के व्यक्तियों के खातेदारी में करने का निर्णय पारित किया। इजराय में उक्त निर्णय को धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन बताते हुए इजराय खारिज कर दी। हमारी राय में धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति की भूमि पर अन्य व्यक्तियों को खातेदारी देने पर स्पष्ट प्रतिबंध है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2021 हमारी राय में उचित है। प्रस्तुत अपील में मृतक रेस्पोडेंट खेमा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। मृतक खेमा की मृत्यु सन् 1998 में होना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित है। खेमा के वारिसान की ओर से मृतक के विरुद्ध अपील पेश होने के कारण अपील अबेट किये जाने का कथन किया है। अपीलांट को दिनांक 13.12.2023 को रेस्पोडेंट की मृत्यु की सूचना न्यायालय द्वारा दिये जाने पर भी कायम मुकाम की कार्यवाही अपीलांट द्वारा नहीं की गयी। लगभग 24 वर्ष पूर्व मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील पेश करना विधि विरुद्ध है। प्रस्तुत अपील में विवादित भूमि का अधिग्रहण होने का तथ्य भी प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आराजी का अधिग्रहण हो चुका है। अपीलांट को उक्त तथ्य की जानकारी होने की उपधारणा की जाती है लेकिन अपीलांट द्वारा यह तथ्य भी छिपाया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिनुसार होने से यथावत रखा जाता है तथा अपील मृत व्यक्ति के विरुद्ध होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा